बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III)– 255 /पटना, दिनांक– 16.01.2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह अप्रैल, 2025 से माह जनवरी, 2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत राशि 13329.20 करोड़ (तेरह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ बीस लाख) रूपये के अतिरिक्त माह फरवरी, 2026 के लिए 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये एवं माह मार्च, 2026 के लिए 1332.88 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ अठासी लाख) रूपये अर्थात कुल 2665.80 करोड़ (दो हजार छः सौ पैसठ करोड़ अस्सी लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–2024 दिनांक–28.04.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2025 से मार्च, 2026 तक की अवधि के लिये 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये प्रति माह की दर से कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल माह अप्रैल, 2025 से माह अक्टूबर, 2025 तक प्रति माह 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये की दर से कुल 9330.44 करोड़ (नौ हजार तीन सौ तीस करोड़ चौबालीस लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–4337 दिनांक–02.09.2025 द्वारा माह नवम्बर, 2025 से जनवरी, 2026 तक की अवधि के लिए प्रति माह 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये की दर से कुल 3998.76 करोड़ (तीन हजार नौ सौ अंठानवे करोड़ छिहत्तर लाख) रूपये अर्थात 13329.20 करोड़ (तेरह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ बीस लाख) रूपये का भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय अनुपूरक बजट में उपबंधित होने के फलस्वरूप शेष राशि उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित अनुदान की राशि के लिए कुल 15995.00 करोड़ (पन्द्रह हजार नौ सौ पंचानवे करोड़) रूपये स्वीकृत राशि के विरूद्ध माह अप्रैल, 2025 से माह जनवरी, 2026 तक की अवधि के लिए स्वीकृत राशि 13329.20 करोड़ (तेरह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ बीस लाख) रूपये के अतिरिक्त माह फरवरी, 2026 के लिए 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये एवं माह मार्च, 2026 के लिए 1332.88 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ अठासी लाख) रूपये अर्थात कुल 2665.80 करोड़ (दो हजार छः सौ पैसठ करोड़ अस्सी लाख) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष, 2801–विद्युत–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि एन0टी0पी0सी लि0 को पूर्व की भॉति भुगतान करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अलग से प्राधिकृत किया जायेगा, जिसमें माह फरवरी, 2026 के लिए 1332.92 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ बानवे लाख) रूपये एवं माह मार्च, 2026 के लिए 1332.88 करोड़ (एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ अठासी लाख) रूपये अर्थात कुल 2665.80 करोड़ (दो हजार छः सौ पैसठ करोड़ अस्सी लाख) रूपये की अवधि के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख को अथवा अवकाश की स्थिति में इसके ठीक पूर्व कार्य दिवस को राज्य सरकार के खाते को डेबिट कर एन0टी0पी0सी0लि0 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी0ए0जी0 ब्रांच, 5वॉ तल, रेड फोर्ट कैपिटल, पार्श्वनाथ टावर, भाई वीर सिंह मार्ग, गोले मार्केट, नई दिल्ली का खाता सं0–10813608669, IFSC Code–SBIN0017313 में क्रेडिट करने का अनुदेश होगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

6. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III) के पृष्ठ सं0–90/टि0 पर दिनांक–25.04.2025 को प्राप्त है।

7. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र०2/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–III) के पृष्ठ संख्या–114/टि0 पर दिनांक–05.01.2026 को प्राप्त है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–III)– / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र०2 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–III)– 255 / पटना, दिनांक– 16.01.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना / अपर महाप्रबंधक–प्रभारी (वाणिज्यिक), एन0टी0पी0सी0–लोकनायक जयप्रकाश भवन, पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.01.26

सरकार के संयुक्त सचिव।